राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक : एफ 2(5) संस्था/रालोसेआ /16–17/ 1286 दिनांक : 30.06.26

कार्यालय आदेश

आयोग कार्यालय हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा, 2024 उत्तीर्ण करने पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.06 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार आयोग कार्यालय में प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) राशि रू. 12600/– प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरांत पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–2 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की दिनांक से 2 वर्ष के लिए अस्थाई तौर पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर नियुक्त किया जाता है :–

क्र.सं.	रैंक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म दिनांक	लिंग	वर्ग	चयन वर्ग	फोटो
1	11	SATENDAR SINGH	JAL SINGH	02-07-2002	MALE	OBC	GEN_RPSC	
2	18	SAJID KHAN	ABDUL RASID KHAN	05-10-1998	MALE	OBC	GEN_RPSC	
3	47	DEVA RAM	VAGA RAM	10-05-1999	MALE	OBC	GEN_RPSC	
4	64	HIMANSHU PRAJAPAT	RAJKUMAR PRAJAPAT	11-10-2001	MALE	OBC	GEN_RPSC	
5	74	PRAKASH BISHNOI	CHAINARAM	18-04-2000	MALE	OBC	GEN_RPSC	
6	98	RAMNARAYAN	SITA RAM	01-01-2003	MALE	OBC	GEN_RPSC	
7	108	MANOJ KUMAR	LALA RAM	03-06-1996	MALE	OBC	GEN_RPSC	

8	124	PIYUSH DANDOTIYA	BANVARI LAL DANDOTIYA	27-07-1997	MALE	GEN	GEN_RPSC	
9	127	KAVITA KHATRI	BHOJRAJ KHATRI	11-09-2001	FEMAL E	GEN	GEN_RPSC	
10	162	SHIKSHA NAGAR	NARENDRA KUMAR	06-02-2005	FEMAL E	OBC	OBC_RPSC	
11	204	HUKAM SINGH	PEMP SINGH	01-07-1998	MALE	EWS	EWS_RPSC	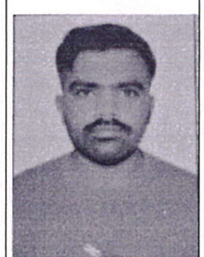
12	219	MUKESH KUMAR DUKIYA	KANA RAM	12-12-2001	MALE	OBC	OBC_RPSC	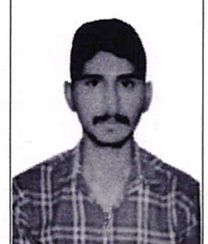
13	222	GOVIND SUMAN	PREMRAJ SUMAN	07-07-1993	MALE	OBC	OBC_RPSC	
14	233	MUNNA RAM	BHANWAR LAL	10-04-2003	MALE	OBC	OBC_RPSC	
15	236	RICHHPAL DODWADIYA	RAMAKISHAN	25-09-1998	MALE	OBC	OBC_RPSC	

16	244	JITENDRA SINGH	SHAITAN SINGH	13-12-2001	MALE	EWS	EWS_RPSC	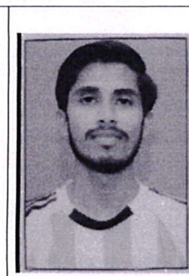
17	277	AKASH SHARMA	SURESH KUMAR SHARMA	03-03-2000	MALE	EWS	EWS_RPSC	
18	325	KANHAIYA LAL GADRI	GHASI RAM GADRI	05-02-2002	MALE	MBC	MBC_RPSC	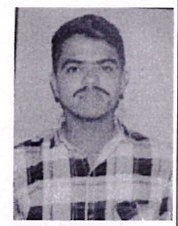
19	764	MAHENDRA KUMAR ROHALAN	RANJEET SINGH	08-07-2000	MALE	SC	SC_RPSC	
20	1183	BHARAT LAL	NATHU RAM	01-01-2001	MALE	SC	SC_RPSC	
21	1324	SUKHDEV NAYAK	KARNIDAN NAYAK	10-10-2004	MALE	SC	SC_RPSC	
22	4650	VIKASH KUMAR MEENA	KAILASH CHAND MEENA	02-06-2004	MALE	ST	ST_RPSC	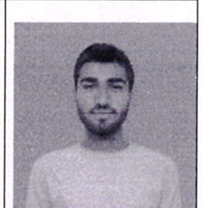
23	4986	MONIKA MEENA	RAJENDRA KUMAR MEENA	21-04-1994	FEMAL E	ST	ST_RPSC	

24	5179	VIKAS MEENA	RAMJI LAL MEENA	16-06-2002	MALE	ST	ST_RPSC	
25	5251	DEEPAK KUMAR MEENA	GYARSI LAL MEENA	28-06-1999	MALE	ST	ST_RPSC	
26	8856	LAXMI KUMARI	KAMAL SINGH	11-02-1999	FEMAL E	SC	SC_RPSC	
27	122022	DARSHANA DEVI	SUBHASH	15-12-1983	FEMAL E	GEN WD	GEN_RPSC WD	

शर्तें :–

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से अधिकतम 21 दिवस की अवधि में अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में उस अभ्यर्थी की सीमा तक नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा तथा इस संबंध में आयोग द्वारा अन्य कोई आदेश जारी नहीं किया जावेगा।
2. अभ्यर्थी किसी कारणवश 21 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए कार्यग्रहण की समयावधि (जो एक माह से अधिक नहीं हो) में अभिवृद्धि हेतु नियुक्ति हेतु दी गई समय सीमा के कम से कम सात दिवस पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे, ताकि आयोग द्वारा कार्यग्रहण की अंतिम तिथि से पूर्व निर्णय लिया जा सके। ऐसा नहीं करने पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
3. अभ्यर्थी आयोग कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, शपथ–पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र, पासपोर्ट साईज की दो फोटो (जो 10 दिवस से अधिक पुरानी न हो) एवं समस्त मूल शैक्षणिक दस्तावेज मय सत्यापित प्रतियों के साथ उपस्थित होंवें, ताकि आयोग स्तर पर चयन स्पष्ट किया जा सके। साथ ही कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन पर कार्य करने की अपनी सहमति (यदि लागू हो तो) लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 50 रू0 के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएँ एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य पाये जाने पर आयोग को चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।

   इसी शपथ पत्र में यह शर्त भी अंकित करनी होगी कि उनके विरूद्ध कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं है, किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन/लंबित नहीं है एवं न ही उन्हें पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा दण्डित/राजीनामा/दोषमुक्त किया गया है। पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व–वृत सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर आयोग को उनकी अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा। (यदि एफ.आई.आर. दर्ज है तो, उसका विस्तृत विवरण संलग्न Attestation Form में भरकर देना होगा।)
4. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व अपने स्वास्थ्य की जांच करवाकर स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र अपने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित करवाकर आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक, नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक अथवा इसके बाद की होनी आवश्यक है।
5. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी एवं बोगस पाए जाते हैं तो आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी। साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों के

विरूद्ध भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं से डिबार किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

6. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण से पूर्व नाम/उपनाम/विवाह संबंधी शपथ–पत्र/धूम्रपान नहीं करने/दहेज नहीं लेने/दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ–पत्र तथा दो उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, अन्तिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
7. अभ्यर्थियों के पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व–वृत सत्यापन संबंधी ऑनलाईन प्रमाण पत्र कार्यग्रहण उपरांत 15 दिवस की अवधि के भीतर आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। पुलिस विभाग द्वारा दी गई उक्त रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर आयोग को चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
8. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व संलग्न प्रपत्र–अ में भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेनी होगी।
9. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किए जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु कार्यग्रहण के समय पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व–वृत सत्यापन एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
10. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा यह प्रतीत हो कि उनमें एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होने की क्षमता नहीं है, तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
11. परिवीक्षाकाल के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद की पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–2 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर भत्ते इत्यादि देय होंगे।
12. परिवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
13. परिवीक्षाकाल में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
14. उक्त नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
15. उक्त नियुक्ति आदेश माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णयों के अध्ययधीन रहेगी।
16. उपरोक्त नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शैक्षणिक योग्यता/प्रशैक्षणिक योग्यता/आयु/वर्ग/आपराधिक प्रकरण/अन्य मूल प्रमाण–पत्रों की भौतिक जांच के उपरान्त चयन स्पष्ट होने के अध्यधीन रहेगी।
17. भर्ती प्रक्रिया सम्पूर्ण हो जाने के उपरांत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा जारी की गई स्थाई मेरिट क्रमांक ही आयोग की स्थाई मेरिट मान्य होगी। तद्नुसार ही अभ्यर्थियों की वरिष्ठता आयोग को आवंटित स्थाई मेरिट क्रमांक के अनुसार अवधारित होगी।
18. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 30.10.17 के अनुसार नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा– मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे।
19. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यग्रहण तिथि से मान्य होगी।
20. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

30/6/26

(रामनिवास मेहता)
सचिव

क्रमांक : एफ 2(5) संस्था/रालोसेआ /16–17/ 1287–98 **दिनांक : 30.06.26**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय, राज., जयपुर।
2. शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. कोषाधिकारी, अजमेर ।
5. लेखा अनुभाग, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. प्रभारी अधिकारी– आई.टी. प्रकोष्ठ (वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु)
7. अनुभाग अधिकारी–सम0 एवं व्यवस्था।
8. श्री ....– आपको निर्देश दिये जाते है कि आप कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, शपथ–पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेज मय सत्यापित प्रतियों के आयोग कार्यालय में उपस्थित होवे ।
9. संबंधित निजी पत्रावली ।

30/6/26

(ऋषिबाला श्रीमाली)
संयुक्त सचिव

प्रपत्र - अ

शपथ –पत्र

'' मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... उम्र .... जाति........... शपथ लेता हूँ/लेती हूँ एवं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा/रखूंगी, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा/रखूंगी तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा/करूंगी। (अतः ईश्वर मेरी सहायता करे।) ''

(हस्ताक्षर)

नाम –

पदनाम